संख्या–1946/41–10–10 यो0/10

प्रेषक,

अवनीश कुमार अवस्थी,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में

महानिदेशक,
पर्यटन,
उ0प्र0 लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग                                                  लखनऊ दिनांक 23 नवम्बर, 2010

**विषय–वर्ष 2010–11 में जिला योजना के अन्तर्गत धनराशि की स्वीकृति।**

महोदय

उपर्युक्त विषयक निदेशालय के पत्र संख्या–485/ 7–1–1 (जि0यो0) /मू0पत्रा0/2010 दिनांक 08–06–2010 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2– उक्त संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 में जिला योजना के अन्तर्गत पर्यटन विकास की योजना जनपद मुजफ्फरनगर स्थित हजरत अब्बास बघरा स्थल के लिए श्री राज्यपाल महोदय समाज कल्याण निर्माण निगम लि0,मुजफफरनगर द्वारा गठित आगणन रू0 40.35 लाख के सापेक्ष रू0 39,76,000.00 ( रू0 उनतालीस लाख छिहत्तर हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते है।

3– अनुमोदित आगणन के अन्तर्गत निहित कार्यो पर ही व्यय किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की गयी है। किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य मद/कार्य में नहीं किया जायेगा और प्रश्नगत जिलों में स्वीकृत योजनाओं हेतु स्वीकृत की जाने वाली धनराशि जनपदों को आवंटित परिव्यय की सीमान्तर्गत ही सुनिश्चित करके आहरित कर व्यय किया जायेगा।

4– आगणन के स्वरूप एवं कार्यदायी संस्था में बिना शासन की पूर्वानुमति प्राप्त किये कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा और स्वीकृत धनराशि कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराने के पूर्व सुनिश्चित किया जाय कि प्रश्नगत कार्यदायी संस्था शासन द्वारा अनुमोदित है और विभागीय कार्यो को करने में सक्षम है। कार्य राजकीय निर्माण एजेन्सियों से ही कराया जायेगा तथा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–8 के शासनादेश संख्या–ई–8–1210/दस–2008 दिनांक 04–04–2008 के प्रस्तर–1(2) के अनुरूप कार्य से सम्बन्धित आगणनों का अधिकृत विभाग के न्यूनतम अधिशासी अभियंता से परीक्षणोपरानत प्रतिहस्ताक्षरित करा लिया गया है।

5– कोई भी निर्माण कार्य तब तक प्रारम्भ नहीं किया जायेगा जब तक कि अनुमोदित कार्य के लिए निर्माण विभाग द्वारा स्वीकृत दरों पर आधारित विस्तृत ऑगणन तैयार कर उन पर सक्षम स्तर से तकनीकी अनुमोदन प्राप्त न कर लिया जाय तथा निर्माण कार्य का ले आउट एवं मानचित्र महानिदेशक पर्यटन अथवा प्रतिनिधि से अनुमोदित न करा लिया जाय।

6– अनुमोदित कार्यो पर व्यय स्वीकृत लागत की सीमा तक ही किया जाय तथा अतिरिक्त धनराशि की प्रत्याशा में कोई अनाधिकृत व्यय नहीं किया जायेगा। यदि कार्य निष्पादन के उपरान्त कोई धनराशि बचती है अथवा किन्हीं कारणों से धनराशि का उपयोग सम्भव न हो तो उसे यथांशीघ्र राजकोष में जमा कराये जाने की समय से कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

7– कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित किया जाय कि स्वीकृत योजनाओं के लिए पूर्व में कोई धनराशि पर्यटन विभाग अथवा किसी अन्य श्रोत/विभाग द्वारा अवमुक्त नहीं की गयी है और स्वीकृत योजनाओं में कोई पुनरावृत्ति नहीं हो रही है।

8– कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित किया जाय कि स्वीकृत योजनायें पर्यटन के दृष्टिकोण से उपयोगी है और शासन द्वारा समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों से आच्छादित एवं जिला योजना समिति से अनुमोदित है।

9– योजनाओं के लिए स्वीकृत धनराशि मंदिरों/मस्जिदों/दरगाहों के निर्माण/जीर्णोद्धार/मरम्मत के लिए व्यय नहीं की जायेगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग अवस्थापना सुविधा आदि के लिए किया जायेगा।

10– निर्माण एजेन्सी को निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व तित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–5 व 6 में निहित प्राविधानों के अनुसार निर्धारित प्रपत्र पर एक अनुबन्ध पत्र भरना होगा जिसमें अनुबन्ध पत्र भरने की तिथि से 6 माह की अवधि से कार्य पूर्ण करने, कार्यो की गुणवत्ता बनाये रखने, अधोमानक सामग्री का उपयोग न करने तथा अन्य आवश्यक शर्तो का उल्लेख किया जायेगा। अनुबन्ध पत्र में इस बात का स्पष्ट उल्लेख होगा कि अनुबन्ध की शर्तो का उल्लंघन किया जाने की दशा में निर्माण एजेन्सी द्वारा जमा की गयी धरोहर धनराशि को अर्थदण्ड के रूप में जब्त कर लिया जायेगा।

11– निर्माण एजेन्सी द्वारा केवल निर्माण सम्बन्धी कार्य कराये जायेगें तथा उन्हीं कार्यो हेतु अनुमोदित दरों पर सेन्टेज चार्ज अनुमन्य होगा। निर्माण कार्य हेतु आकस्मिक व्यय निर्माण कार्यो की लागत पर नियमानुसार दो प्रतिशत अनुमन्य होगा। कार्यदायी संस्था समाज कल्याण निर्माण निगम का यह दायित्व होगा कि वह स्वयं देखले कि विभागीय कार्य करने के लिए उनके द्वारा प्रस्तावित कार्य में निगम द्वारा कार्य किये जाने हेतु 5 प्रतिशत की कमी करके आगणन गठित किया गया है। भवन के साज–सज्जा इत्यादि के कय की व्यवस्था विभागाध्यक्ष द्वारा स्वयं की जायेगी। साज–सज्जा इत्यादि के कय में स्टोर परचेज नियमों एवं तत्सम्बन्धी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

–3–

12— निर्माण कार्यों के फलस्वरूप सृजित होने वाली परिसम्पत्तियों के समुचित संचालन/रख रखाव की व्यवस्था इस प्रकार सुनिश्चित की जायेगी कि इन मदों पर होने वाले व्यय का भार उत्तर प्रदेश शासन पर न पडे।

13— उक्त स्वीकृत धनराशि को आहरित करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि जिस भूमि पर निर्माण कार्य किया जाना है, सम्बन्धित संस्था/विभाग के पास निर्विवाद रूप से उपलब्ध हो गयी है। यह भी सुनिश्चित किया जाय कि गैर सरकारी धार्मिक स्थल/पर्यटक स्थल के अन्दर कोई भी विकास कार्य हेतु व्यय शासकीय धन (स्वीकृत की जा रही इस धनराशि) से नहीं किया जायेगा।

14— उक्त के अतिरिक्त निम्न शर्तों का भी अनुपालन अनिवार्य हैः—

(1) प्रस्तावों हेतु स्वीकृति की धनराशि आगणित लागत से अधिक नहीं होगी।

(2) यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावों की लागत में बढ़ोत्तरी न हो और समयानुसार योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित कर लिया जाय। उक्त योजनाओं हेतु कोई अतिरिक्त धनराशि देय नहीं होगी।

(3) योजनाओं के क्रियान्वयन के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि स्वीकृत की जानी वाली योजनाओं का अनुमोदन जिला अनुश्रवण समिति से प्राप्त है।

15— उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010—11 के आय—व्ययक के अनुदान संख्या—44 के लेखाशीर्षक—5452—पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय—आयोजनागत—80—सामान्य—104—संवर्धन तथा प्रचार—09—पर्यटन स्थलों का विकास (जिला योजना ) —24 बृहत निर्माण कार्य हेतु एकमुश्त व्यवस्था के नामे डाला जायेगा।

16— यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या—ई—7—1210/दस—2010 दिनांक 18 नवम्बर, 2010 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय

(अवनीश कुमार अवस्थी)
सचिव

**संख्या— 1946(1)/41—2010 तद्दिनांक।**

प्रतिलिपि निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— प्रधान महालेखाकार, सिविल आडिट, उ0प्र0 सत्यनिष्ठा भवन, 15 ए, दयानन्द मार्ग इलाहाबाद।

2— कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।

3— वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, पर्यटन भवन लखनऊ।

4— सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिला अधिकारी।

5— निजी सचिव, मा0 पर्यटन मंत्री जी (स्वतंत्र प्रभार) उ0प्र0।

6— सम्बन्धित क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी।

7— वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग—7/नियोजन अनु0—4

8— श्री राजा राम, वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इसे वेब—साइट पर अंकित करना सुनिश्चित करें।

9— गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(वी0के0सिंह)
विशेष सचिव